

राजस्थान सरकार.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व च्युपाला (क)

श्री अभिलेख निरीक्षक गोरख

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसीलदार करेड़ा

की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मियाफलाण तहसील करेड़ा

जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2073-2076

में खाता संख्या

में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
04	<u>मियाफलाण</u> <u>व्हा शेड़ा</u>	183	<u>मांजी देवी फनी मांगु</u> <u>शमेश्वर लाल पुत्र मांजीलाल</u> <u>जारी मुहार</u> <u>महेन्द्रकुमार पि. रोशनलाल</u> <u>जारी मुहार</u> <u>शमश देवी फनी पुत्र मांगु</u> <u>जारी - मुहार</u>	<u>मांजी देवी फनी मांगु</u> जारी सुधार <u>शमेश्वर लाल पुत्र मांजीलाल</u> जारी सुधार <u>महेन्द्रकुमार पि. रोशनलाल</u> जारी सुधार <u>शमश देवी फनी पुत्र मांगु</u> जारी सुधार

उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 26/10/2024

क्रमांक/न्यायालय /2021 /04

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री शमेश्वर पि. मांजीलाल को भेजा.

उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा